उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4880 औ0सं0/2023–02(यू0)ए0एस0/18 **दिनांक : 31 अक्टूबर, 2023**

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 06.11.2023 को इको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 07.11.2023 से इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पत्र संख्या–6/10 दिनांक 06.10.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संघ ने दिनांक दिनांक 06.11.2023 को इको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 07.11.2023 से इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का नोटिस दिया है।

आप विदित है कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश सं0–1182/24–पी–2–2023–1(121)/04 दि0 05.07.2023 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–3093–औ0सं0/17/पाकालि/2023–159–ए/67 दिनांक 13.07.2023 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आन्दोलन/धरना प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये, आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–4880–औ0सं0/2023, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा।
5. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
7. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइटपर लोड करने हेतु।
9. कट फाइल।

PKumar
(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

एकता!! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ

प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद मो. 8565087409

प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय

प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन

प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे

प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341

संयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री सियाराम

संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव

संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव

प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया

कार्यालय मंत्री सुशील कुमार

कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 6/10

दिनांक 6-10-2023

पेज सं0 1 से 7 तक

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय— उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन एवं उसके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान न होने के कारण पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन का ध्यान कर्मचारियों के समस्याओं की तरफ आकृष्ट करने हेतु संघ द्वारा चरण बद्ध तरीके से किये जाने वाले ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

माननीय जी/महोदय जी,

सादर अवगत कराना है कि --

1. यह कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं उसके सहयोगी निगमों द्वारा विभाग की नीतियों के विरूद्ध नियमित प्रकार के कार्यों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती कर कार्य कराया जा रहा है।

2. यह कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं उसके सहयोगी निगमों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का लेबर का अनुबन्ध कर लाइन मैन, उपकेन्द्र परिचालक आदि का कार्य कराया जा रहा है, वेतन का भुगतान करने में भेद भाव किया जा रहा है, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक वर्ष कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने या खम्भे से नीचे गिर जाने से जहां एक तरफ सैकड़ों कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों कर्मचारी अपंग हो रहे हैं। संघ द्वारा पिछले कई वर्षो से मांग की जा रही है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबन्ध किया जाये, वेतन भुगतान में भेदभाव न किया जाये, वेतन रू0 18000/— निर्धारित कर उ0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले हित लाभों को दिया जाये या सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान किया जाये या समान कार्य का समान वेतन दिया जाये, दुघर्टनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण दिया जाये व कर्मचारियों की तैनाती किया जाये, ई0पी0एफ0 घोटाले की जांच करायी जाये, बिजली की चपेट में आने या खम्भे से नीचे गिर कर घायल हुए कर्मचारियों का उपचार कराया जाये, दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल

से काट कर भुगतान किया जाये, दुर्घटना में अपंग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति एवं जीवन यापन भत्ता दिया जाय, विभाग के नीतियों के अनुरूप मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाये आदि का समाधान करने की मांग की जा रही है, किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा संघ के उक्त मांगों पर आज तक विचार नहीं किया गया बल्कि मार्च 2023 में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा किये गये आन्दोलन के नाम पर दो से तीन माह के वेतन का भुगतान किये बगैर हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया, कर्मचारियों के खिलाफ गलत मुकदमें दर्ज कराये गये, मा0 उच्च न्यायलय के आदेश का उल्लंघन कर अप्रैल 2023 में कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा जून 2023 में रू0 13000/— के अनुबन्ध पर कार्य कर रहे संविदा उपकेन्द्र परिचालकों के स्थान पर रू0 30,000/— के अनुबन्ध पर सैनिक कल्याण निगम से कर्मचारियों की तैनाती का आदेश निर्गत किया गया एवं अप्रैल 2023 में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा क्षेत्र से लगभग 3200 उपकेन्द्र परिचालक सहायकों को कार्य से हटा दिया गया।

3. यह कि दिनांक 11.07.2019 को संघ के मुख्य संरक्षक मा0 सांसद कौशल किशोर जी की उपस्थिति में संघ पदाधिकारियों व अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के बीच शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ में वार्ता हुई, जिसमें अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन द्वारा 45 दिन के अन्दर उक्त समस्याओं का परीक्षण कराकर समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पत्र सं0–27/19 दिनांक 27.08.2019 एवं अन्य के माध्यम से निवेदन करने के बावजूद भी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं किया गया।

4. यह कि दिनांक 27.10.2021 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी की उपस्थिति में संघ पदाधिकारियों व प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के बीच मा0 ऊर्जा मंत्री जी के कैम्प कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ में वार्ता हुई थी जिसमें मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा उक्त समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया था। जिसका पालन नहीं किया गया।

5. यह कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी, मेसर्स अवनि परिधि व मेसर्स जनमेजय सिंह द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में किये गये अनियमितता की जांच हेतु जांच कमेटी गठित की गयी जिसमें जांच कमेटी के अध्यक्ष इं0 अजय कुमार सिंह द्वारा संघ से शिकायत से सम्बन्धित अभिकथन एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसको ध्यान में रखकर संघ द्वारा अपने पत्र सं0–27/21 दिनांक 27.11.2021 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा शिकायत से सम्बन्धित अभिकथन एवं साक्ष्य जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किन्तु न तो कर्मचारियों को उसका कोई लाभ मिला और न ही जांच आख्या से संगठन कार्यालय को अवगत कराया गया।

6. यह कि संघ के मुख्य संरक्षक मा0 सांसद कौशल किशोर जी द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को लिखे पत्र का संज्ञान लेते हुए श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी अनुसचिव, उ0प्र0 शासन

द्वारा पत्र सं0–सी एम–206/24–पी–2–2021–सा0 (270)/17 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ को उक्त समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया था, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

7. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–15/2 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा अवगत कराया गया था कि मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन्स प्रा0 लि0 द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को पिछले 10 माह से उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। जिस पर प्रबन्धन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के मद में रू0 12,75,78,999.64 (बारह करोड़ पचहत्तर लाख अठहत्तर हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये चौसठ पैसे मात्र) सहित कुल रू0 21,98,54,615.38 (इक्कीस करोड़ अट्ठानवे लाख चौवन हजार छः सौ पन्द्रह रूपये अड़तीस पैसे) का घोटाला कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में संघ द्वारा अपने पत्र सं0–10/8 दिनांक 09.08.2023 (छाया प्रति संलग्न) एवं अन्य के माध्यम से उक्त गबन की धनराशि को वसूल कर कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराने का निवेदन किया गया था। किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा संघ के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। जिससे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला।

8. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–23/2 दिनांक 23.02.2023 एवं अन्य के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों जैसे–हरदोई, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं सहित अन्य जनपदों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे/कर चुके संविदा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है जिसकी जांच करायी जाये, जो आज तक नहीं करायी गयी।

9. यह कि संघ द्वारा अपने पत्र सं0–8/8 दिनांक 09.08.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया था कि जांच अधिकारी श्री चन्द्रपाल अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, हमीरपुर द्वारा हमीरपुर जनपद में मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति हमीरपुर उ0प्र0 द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य रहे कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच की गयी थी, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा रू0 1,28,33,156/– की अनियमितता पायी गयी थी। संघ द्वारा उक्त गबन की रकम को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने हेतु अनेकों बार निवेदन किया गया, किन्तु इसके बावजूद भी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा गबन की धनराशि को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराया गया।

10. यह कि संघ द्वारा पत्र स0–23/8 दिनांक 26.08.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया था कि मेसर्स नेशनल कम्पनी, भरथना रोड, इटावा द्वारा भविष्य

निधि कार्यालय कानपुर में ई0सी0आर0 जमा न करने के कारण कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

11. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–11/8 दिनांक 10.08.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया था कि मेसर्स साधना सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 व मेसर्स एस0के0 इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता के कारण उक्त संविदाकारों की प्रतिभूति को खण्डीय कार्यालयों द्वारा जब्त कर लिया गया है। संघ द्वारा निवेदन किया गया था कि संविदाकारों की जब्त प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये। किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

12. यह कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक 03.12.2022 को हुए समझौते का पालन कराने हेतु मार्च 2023 में 72 घंटे का हड़ताल किया गया। किन्तु मा0 ऊर्जा मंत्री जी व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बीच बनी सहमति के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा निर्धारित समय से 8 घंटे पूर्व हड़ताल को वापस ले लिया गया। तत्पश्चात मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा यह घोषणा करते हुए कर्मचारियों को कार्य पर वापस जाने का निर्देश दिया गया कि आन्दोलन के दौरान हुई सभी कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु मैंने यू0पी0पी0सी0एल0 के चेयरमैन को निर्देशित कर दिया है, जिसके बाद सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य स्थल पर जाकर कार्य करना शुरू कर दिये। लेकिन लगभग दो माह कार्य करने के बाद बिना वेतन दिये हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया तथा कुछ जनपदों में कर्मचारियों के विरूद्ध फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये।

13. यह कि संघ द्वारा अपने पत्र सं0–12/8 दिनांक 09.08.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा 162 घायल कर्मचारियों की सूची संलग्न करते हुए अवगत कराया गया था कि बिजली की चपेट में आने या खम्भे से नीचे गिर कर घायल हुए कर्मचारियों को ई0एस0आई0सी0/डब्लू0सी0 का लाभ न मिलने के कारण घायल कर्मचारियों को अपने पास से उपचार कराना पड़ा है तथा निवेदन किया गया था कि सूची की जांच कराकर घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर भुगतान किया जाये, जो आज तक नहीं किया गया।

14. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–16/4 दिनांक 16.04.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा 24 मृतक कर्मचारियों की सूची संलग्न करते हुए निवेदन किया गया था कि सूची की जांच कराकर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को दुर्घटना हित लाभ दिया जाये। किन्तु अभी बहुत से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को दुर्घटना हित लाभ नहीं दिया गया है।

15. यह कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ द्वारा दिनांक 14.04.2023 को कर्मचारियों के स्थानान्तरण का आदेश निर्गत किया गया। संघ

द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त आदेश से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2018 (छाया प्रति संलग्न) का उल्लंघन हो रहा है तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने पर जहां एक तरफ रू0 8000/– से रू0 10000/– वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन का एक बड़ा भाग आने जाने में खर्च हो जायेगा, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने का संकट पैदा हो जायेगा वहीं दूसरी तरफ लाइन का कार्य करने वाले कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। जिससे विभाग का कार्य प्रभावित होगा। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

16. यह कि संघ के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी प्रबन्धन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान न दिये जाने के कारण संघ द्वारा अपने पत्र सं0– 16/5 दिनांक 16.05.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त समस्याओं से अवगत कराने हेतु दिनांक 29.05.2023 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर पीड़ित कर्मचारियों के साथ मिलकर समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था, किन्तु दिनांक 15.05.2023 को संघ के मुख्य संरक्षक मा0 सांसद कौशल किशोर जी केन्द्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली की उपस्थिति में संघ पदाधिकारियों व अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ के बीच वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस हजरतगंज लखनऊ में तथा दिनांक 25.05.2023 को अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ व संघ पदाधिकारियों के बीच शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ में वार्ता हुई, जिसमें अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन द्वारा उक्त समस्याओं का इस शर्त पर समाधान करने का आश्वासन दिया गया कि संघ द्वारा दिनांक 29.05.2023 को पीड़ित कर्मचारियों के साथ मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर समस्याओं से अवगत कराने के निर्णय को पहले स्थगित किया जाये। इसके बाद उक्त समस्याओं का समाधान करूंगा।

17. यह कि अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ के आश्वासन पर संघ द्वारा दिनांक 29.05.2023 को पीड़ित कर्मचारियों के साथ मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर समस्याओं से अवगत कराने के निर्णय को अपने पत्र सं0– 26/5 दिनांक 26.05.2023 के द्वारा स्थगित कर अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन से मिलकर शर्तो के अनुरूप समस्याओं का समाधान करने का निवेदन किया गया, किन्तु शर्तों के आधार पर बनी सहमति के अनुरूप समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

18. यह कि दिनांक 06.06.2023 को प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ द्वारा विगत 10 वर्षों से अधिक समय से संविदाकारों के माध्यम से तैनात लगभग रू0 13000/– के अनुबन्ध पर कार्य कर रहे प्रशिक्षित एवं अनुभवी संविदा उपकेन्द्र परिचालकों के स्थान पर पूर्व सैनिक कल्याण निगम से लगभग रू0 30,000/– के अनुबन्ध पर अप्रशिक्षित एवं परिचालन कार्य में अनुभवहीन कर्मचारियों को तैनात

एकता!! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद मो. 8565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय | प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन | प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री सियाराम | संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव | संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव | प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया | कार्यालय मंत्री सुशील कुमार | कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 6/10

दिनांक 6-10-2023

करने का आदेश निर्गत किया गया है। जिससे जहां एक तरफ हजारों कर्मचारी बेरोजगार हों जायेंगे तथा उनके सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने एवं बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का संकट पैदा हो जायेगा। वही दूसरी तरफ लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी, जिससे सरकार की छवि धुमिल होगी।

19. यह कि संघ द्वारा अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ से अपने पत्र सं0–2/6 दिनांक 02.06.2023 पत्र सं0–.14/6 दिनांक 14.06.2023 व पत्र सं0–13/7 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा दिनांक 25.05.2023 को अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन व संघ के बीच शर्तो पर आधारित बनी सहमति के अनुरूप समस्याओं का समाधान करने का बार–बार निवेदन किया गया। इसके बावजूद भी अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। बल्कि दिन प्रतिदिन उत्पीड़न बढ़ता ही गया।

20. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–22/7 दिनांक 22.07.2023 व पत्र सं0–16/8 दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ से व पत्र सं0 – 24/8 दिनांक 25.08.2023 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने हेतु समय मांगा गया किन्तु अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा उक्त समस्याओं के समाधान हेतु संघ पदाधिकारियों को वार्ता हेतु समय नहीं दिया गया।

इस प्रकार निरन्तर प्रयास करने के बादजूद भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों की उक्त समस्याओं का समाधान न करने, आन्दोलन के नाम पर हजारों कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन का भुगतान किये बगैर कार्य से हटाने, प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु संघ पदाधिकारियों को वार्ता हेतु समय न देने आदि के कारण कर्मचारियों में व्याप्त रोष एवं अविश्वास को ध्यान में रखकर संघ द्वारा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकृष्ट करने हेतु 4 चरणों में सांकेतिक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया था जो इस प्रकार है।

<u>प्रथम चरण</u> –दिनांक 16.10.2023 को प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपने अपने कार्य स्थल पर काला फीता बांधकर विरोध स्वरूप <u>निर्धारित घंटे से 1 घंटा अधिक कार्य किया जायेगा।</u>

<u>द्वितीय चरण</u>–दिनांक 20.10.2023 को अर्धक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा।

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक मा. कौशल किशोर, सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद मो. 8565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय | प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन | प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री सियाराम | संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव | संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव | प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया | कार्यालय मंत्री सुशील कुमार | कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 6/10 दिनांक 6-10-2023

(7)

तृतीय चरण–दिनांक 21.10.2023 से 30.10.2023 के मध्य जन प्रतिनिधियों के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 सरकार को ज्ञापन दिया जायेगा।

चतुर्थ चरण– दिनांक 25.10.2023 को प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा।

पंचम चरण–दिनांक 30.10.2023 को जिला मुख्यालयों/सम्बन्धित कार्यालयों एवं विद्युत उपकेन्द्रों पर सायं 5 बजे के बाद कैंडिल मार्च निकाला जायेगा।

छठा चरण– दिनांक 06.11.2023 को ईको गार्डेन आलमबाग लखनऊ में महापंचायत किया जायेगा तथा इसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो।

सातवा चरण–दिनांक 07.11.2023 से ईको गार्डेन आलमबाग लखनऊ में अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया जायेगा, जिसमें होने वाले किसी भी प्रकार के औद्योगिक अशान्ति अथवा क्षति की जिम्मेदारी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की होगी।

अतः माननीय जी/श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि उक्त को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संघ बातचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान कराने का पक्षधर है।

धन्यवाद।

संलग्नक– मांग पत्र संलग्न।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 : 8400754341

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मा0 सांसद कौशल किशोर जी, मुख्य संरक्षक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
5. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ...।
6. श्रीमान पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, ...।
7. श्रीमान सहायक श्रमायुक्त, ए0पी0सेन रोड चारबाग, लखनऊ।
8. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय/वितरण मण्डल ....।
9. समस्त दैनिक समाचार पत्र।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

एकता! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक **मा. कौशल किशोर** सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष **मो. खालिद** मो. 8565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष **सुरेन्द्र पाण्डेय** | प्रदेश उपाध्यक्ष **हर्षवर्धन** | प्रदेश उपाध्यक्ष **विवेक माधुरे** | प्रदेश महामंत्री **देवेन्द्र कुमार पाण्डेय** मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री **रमेश चन्द्र राजपूत**

संयुक्त मंत्री **सियाराम** | संगठन मंत्री **हरिश्चन्द्र यादव** | संगठन मंत्री **रण बहादुर सिंह यादव** | प्रचार मंत्री **रंजीत कनौजिया** | कार्यालय मंत्री **सुशील कुमार** | कोषाध्यक्ष **प्रमोद मिश्र**

पत्रांक : 6/10

दिनांक 6-10-2023

मांग--पत्र

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं उसके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का/को--

1. विभाग की नीतियों के अनुरूप मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाये।
2. मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित करने तक लेबर का अनुबन्ध कर लाइन मैन, उपकेन्द्र परिचालक का कार्य कराने की प्रथा पर रोक लगाते हुए कार्य के अनुरूप अनुबन्ध किया जाये।
3. वेतन रू0 18000/— निर्धारित कर उ0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले हित लाभों को दिया जाये या सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान किया जाये या समान कार्य का समान वेतन दिया जाये।
4. मा0 ऊर्जा मंत्री जी के घोषणा के अनुरूप मार्च 2023 में आन्दोलन के नाम पर हटाये गये कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान कराते हुए उन्हें कार्य पर वापस लिया जाये तथा कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को वापस लिया जाये।
5. दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये तथा मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण दिया जाये।
6. अनुरक्षण व परिचालन कार्य हेतु मानक के अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती की जाये तथा विद्युत विच्छेदन व राजस्व वसूली हेतु अलग से कर्मचारियों को तैनात किया जाये।
7. कार्य के दौरान घायल कर्मचारियों का पूर्ण उपचार कराया जाये तथा कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय किये गये धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि का भुगतान किया जाये।
8. कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने, खम्भे से नीचे गिरकर या किसी अन्य कारण से अपंग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति एवं जीवन यापन भत्ता दिया जाये।
9. कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने, खम्भे से नीचे गिर जाने या किसी अन्य कारण से मृत कर्मचारियों के परिजनों को रू0 10,00,000/— का दुर्घटना हित लाभ देते हुए परिवार के किसी सदस्य को कार्य पर लिया जाये।

क्रमशः 2

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद मो. 6565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय | प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन | प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री सियाराम | संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव | संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव | प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया | कार्यालय मंत्री सुशील कुमार | कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 6/10   दिनांक 6-10-2023

10. ई0पी0एफ0 घोटाले की जांच करायी जाये तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते की के0वाई0सी0 कराते हुए उनके ई0पी0एफ0 खातों का एकीकरण कराया जाये।

11. मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दिनांक 27.10.2021 को दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये तथा उनके निर्देशों पर मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी, मेसर्स अवनी परिधि व मेसर्स जनमेजय सिंह द्वारा ई0पी0एफ0 आदि में किये गये अनियमितता में की गयी जांच की जांच आख्या उपलब्ध कराते हुए ई0पी0एफ0 के पैसे को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

12. मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली द्वारा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि में किये गये घोटाले की रकम रू0 21,98,54,615.38 (इक्कीस करोड़ अट्ठानवे लाख चौवन हजार छः सौ पन्द्रह रूपये अड़तीस पैसे) को वसूल कर कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 की धनराशि रू0 12,75,78,999. 64 को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

13. मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति उ0प्र0 अध्यक्ष श्री आर0एस0 राय द्वारा प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच करायी जाये तथा मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति हमीरपुर द्वारा हमीरपुर जनपद के कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये घोटाले की धनराशि रू0 1,28,33,‘56/– वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

14. मेसर्स नेशनल कम्पनी भरथना रोड, इटावा से कर्मचारियों के ई0सी0आर0 की प्रमाणित प्रति भविष्य निधि कार्यालय कानपुर में जमा कराया जाये।

15. मेसर्स साधना सिक्योरिटी सलूशन प्रा0 लि0 व मेसर्स एस0के0 इलेक्ट्रिकल्स द्वारा ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की धनराशि को उनके जमा प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

16. संघ के पत्र सं0–15/4 दिनांक 15.04.2023 के साथ संलग्न सूची की जांच कराकर 162 घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित संविदाकार के बिल से काट कर भुगतान दिया जाये।

17. संघ के पत्र सं0–16/4 दिनांक 16.04.2023 के साथ संलग्न सूची की जांच कराकर जिन मृतक कर्मचारियों के परिजनों को दुर्घटना हित लाभ अभी तक नहीं दिया गया है उन्हें अविलम्ब दिलवाया जाये।

क्रमशः 3

एकता! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8565087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माधुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत
संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री		प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
सियाराम	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव		रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 6/10

दिनांक 6-10-2023

18. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा दिनांक 14.04.2023 एवं दिनांक 06 06.2023 को किये गये आदेश को निरस्त किया जाये।

19. कर्मचारियों को मोबाइल व पेट्रोल भत्ता दिया जाये।

20. महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाये।

21. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा क्षेत्र से अप्रैल 2023 में हटाये गये उपकेन्द्र परिचालक सहायकों को कार्य पर वापस लिया जाये।

22. प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 21.09.2023 को निरस्त कर दिनांक 12.10.2020 के आदेश को लागू किया जाये।

23. कर्मचारियों को 60 वर्ष की अवस्था तक कार्य करने की अनुमति दी जाये।

24. मानक के अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती की जाये तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कर्मचारियों से 8 घंटे 26 दिन कार्य लिया जाये एवं अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन दिया जाये।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

प्रदेश महामंत्री

मो0 : 8400754341

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग–2

संख्याः–1182/24–पी–2–2023–1(121)/04

लखनऊ : दिनांक : 05 जुलाई, 2023

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3– उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5– कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6– मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8– पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9– दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– 1182 (1)/24–पी–2–2023–1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.07.2023 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश का असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

..2/–

H S Mishra U O-2023

संख्याः- 1182(2)/24-पी-2-2023-1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(7) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(8) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि व आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(9) विधायी अनुभाग-1।
(10) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(12) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
(14) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
(15) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
(16) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

H. S. Mishra U O-2023

12

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1182/24-P-2-2023-1(121)/2004, dated- 05-07-2023.

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 1182/24-P-2-2023-1(121)/04
Dated, Lucknow: 05-07-2023

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow; 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

MAHESH KUMAR GUPTA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

H S Mishra U O-2023

13

UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–3093–औ0सं0–17/पाकालि/2023–159–ए/07

प्रबन्ध निदेशक,

दिनाँक 13 जुलाई, 2023

पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0, एवं केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय :– उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश सं0–1182/24–पी–2–2023–1(121)/04 दिनांक 05.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या–3093(I)औ0सं0–17/पाकालि/2023–तददिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ0प्र0 शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश सं0–1182/24–पी–2–2023–1(121)/04 दिनांक 05.07.2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
02. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
03. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
04. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
05. प्रबन्ध निदेशक, एस0एल0डी0सी0लि0, विभूति खण्ड–II, लखनऊ के निजी सचिव।
06. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
07. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
08. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
09. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या–3093(II) औ0सं0–17/पाकालि/2023/तददिनांकः–

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

ADHISUCHANA Union New

14